भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4888
दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमजेएके के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री की निगरानी

4888. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजवीर सिंह (राजु भैय्या)
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः
डॉ.सुकान्त मजूमदारः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पीएमजेएके द्वारा कदाचार (उच्च कीमतों पर अन्य जेनेरिक दवाओं की बिक्री सहित) की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे केंद्रों के लिए लाइसेंस रद्द करने सहित की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का दिल्ली सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास देश में पीएम जन औषधि केंद्र (पीएमजेएके) के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के कार्यकरण/बिक्री के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए कोई तंत्र है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;
(ङ) क्या सरकार का निर्धारित जेनेरिक दवाओं और अन्य दवाओं की बिक्री-खरीद लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर उक्त पीएमजेएके का कार्य प्रदर्शन विश्लेषण करने का विचार है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा जनता को सस्ती और उचित कीमत पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पीएमजेएके के नियमों और विनियमों के सख्त अनुपालन के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) जेनेरिक दवाओं की अधिक कीमतों पर बिक्री सहित अन्य कदाचार की शिकायतों के मामले में *प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों* (पीएमबीजेके) के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करती है। पीएमबीआई ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 28.02.2023 तक, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न विसंगतियों के लिए 56 पीएमबीजेके को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए है। जारी किए एससीएन के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	छत्तीसगढ	4
3.	दिल्ली	41
4.	मध्य प्रदेश	3
5.	महाराष्ट्र	3
6.	उत्तर प्रदेश	1
कुल		**56**

शिकायतों की जांच के बाद, विसंगति करने वाले पीएमबीजेके को पीएमबीआई द्वारा यथावश्यकता अनुसार चेतावनियां, जारी की गई है।

(ग) और (घ): पीएमबीआई ने सभी पीएमबीजेके में 'प्वाइंट ऑफ सेल' सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लागू किया है। यह प्रणाली केवल पीएमबीआई द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जेनेरिक दवाओं को बेचने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, पीएमबीआई के विपणन अधिकारियों द्वारा पीएमबीजेके का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी कदाचार की संभावनाओं को दूर किया जा सके। पीएमबीजेके के माध्यम से किसी भी ब्रांडेड दवा की बिक्री की शिकायत होने पर विपणन अधिकारी मामले की जांच करते हैं और कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी कर सख्त कार्रवाई करते हैं।

(ङ) और (च): जनवरी, 2019 में 'जन औषधि केन्द्रों की प्रभावशीलता में सुधार' के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा संशोधित अनुमोदित किया गया।

(छ): सभी केंद्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने पूरे देश में चार माल-गोदामों

और 36 वितरकों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। सभी गोदामों में एसएपी आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली है और मांग का पूर्वानुमान उक्त प्रणाली के माध्यम से किया जाता है ताकि वांछित इन्वेंट्री स्तरों के अनुसार ऑर्डर दिए जा सकें। इसके अतिरिक्त, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एप्लिकेशन के साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली लागू की गई है।

*****